



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 17.04.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त छन्नू पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 50 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 108/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

छन्नू पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण:-

50 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री सुमित राठी, थाना प्रभारी अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी अश्वनी चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी शुभम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 17.04.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 216/25 धारा 191(2)/191(3)/190/352/109(1)/324(4)/125/121(1)/132 बी.एन.एस व 7 सी0एल एक्ट से सम्बंधित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 15.04.2025 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी थी कि दिनांक 13.04.2025 को अभियुक्त हर्षवर्धन आदि 02 नफर वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गये है । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 213/2025 धारा 87 बी.एन.एस बनाम हर्षवर्धन आदि 02 नफर पंजीकृत किया



गया तथा पुलिस द्वारा दिनांक 15.04.2025 को उक्त अभियोग से सम्बंधित अपहता को बरामद कर लिया गया । विवेचना के क्रम में मा0 न्यायालय के समक्ष अपहता के धारा 183 बी.एन.एस.एस अन्तर्गत बयान अंकित कराने के उपरान्त उसे उसकी इच्छानुसार अभियुक्त हर्षवर्धन के पिता दुष्यन्त व उसके चाचा को सुपुर्द कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया, इसी बात को लेकर गाँव में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई । दिनांक 16.04.2025 को रात्रि में समय लगभग 21:00 बजे थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लड़की पक्ष के लोग एकत्र होकर लड़के पक्ष से झगड़ा करने की फिराक में हैं ।

सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, इसी दौरान लड़की पक्ष के लगभग 30-35 महिला व पुरुष पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया । पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये पाँच व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया ।

वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल को तैनात किया गया है । उक्त घटना के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 216/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/352/109(1)/324(4)/125/121(1) बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधि0 बनाम कुलदीप आदि कुल 23 नफर नामजद व 10-15 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया है । शेष अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. हरदीप सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम सुजातपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. रोबिन पुत्र कलमचन्द निवासी ग्राम सुजातपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. शिव कुमार पुत्र रामशरण निवासी ग्राम सुजातपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. अर्जुन पुत्र बल्लू निवासी ग्राम सुजातपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. अनिल पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम सुजातपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 यशवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. हे0का0 241 रणधीर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. कां0 2295 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. कां0 1877 अंकित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
8. कां0 2516 विजय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
9. कां0 1465 सुमित थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
10. कां0 794 बालेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
11. कां0 810 मोनू थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
12. कां0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल

दिनांक 17.04.2025

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 107/24 धारा 420 भादिव व 66डी आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2024 को वादी श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह निवासी ग्राम जीतपुर खास थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी से OTP प्राप्त कर क्रेडिट कार्ड से 79367/- रुपये ट्रांसफर कर लिये है। इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 107/24 धारा 66डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 107/24 धारा 66डी आई0टी0 एक्ट में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र अजयपाल निवासी भरत सीटी टीला मोड लोनी गाजियाबाद हाल पता टावर पी0 7 फ्लैट नम्बर 2501 ग्राउण्ड सिटी प्रतीक विजय नगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 18 पासबुक, 12 एटीएम कार्ड, 16 सिम कार्ड, 06 मोबाइल फोन, 22 बैंक बुक, 03 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 बैंक व 500/- रुपये नगदी बरामद की गयी । अभियोग में धारा 420 भादवि की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल पुत्र अजयपाल निवासी भरत सीटी टीला मोड लोनी गाजियाबाद हाल पता टावर पी0 7 फ्लैट नम्बर 2501 ग्राउण्ड सिटी प्रतीक विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

18 पासबुक, 12 एटीएम कार्ड, 16 सिम कार्ड, 06 मोबाइल फोन, 22 बैंक बुक, 03 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 बैंक व 500/- रुपये नगदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

निरीक्षक सुभाषचन्द, क्षेत्राधिकारी कार्यालय नजीबाबाद जनपद बिजनौर
आरक्षी अजय कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 17.04.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 139/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 17.04.2025 को वादी श्री मौ0 कासिम पुत्र मौ0 हनीफ मरहूम निवासी मौहल्ला कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वादी व वादी के पुत्रो द्वारा एक चोर को घर से चोरी के सामान सहित पकड लिया है । चोर ने अपना नाम शमशाद पुत्र नजाकत निवासी ग्राम गढी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद बताया । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 139/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 139/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शमशाद पुत्र नजाकत निवासी ग्राम गढी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को चोरी के सामान (02 मोबाइल फोन, 01 ईयर फोन व एक घडी) सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शमशाद पुत्र नजाकत निवासी ग्राम गढी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

बरामदगी का विवरण

02 मोबाइल फोन

01 ईयर फोन

01 घडी



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना नगीना **दिनांक 17.04.2025**

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 58/25 धारा 351(3)/352 बीएनएस व धारा 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.04.2025 को वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पारस पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी ग्राम लुहारी सराय पूर्वी अम्बेडकर नगर थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त सोनू द्वारा वादी व वादी के बड़े भाई श्री मनोज पारस के मोबाइल फोन पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली गलौच करते हुए अभद्रता की गयी है और जान से मारने की धमकी दी गयी है । इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 58/25 धारा 351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।



कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गौसपुर टोपरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गौसपुर टोपरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 रामचन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी कौशलेन्द्र प्रताप थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी संदीप तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 17.04.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 05 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

विवरण –

दिनांक 17.04.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.रविन्द्र पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम ठेठ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.कुलदीप पुत्र कस्मीर सिंह निवासी ग्राम कुमहरिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3.सुभाष पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम ठेठ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 05 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रविन्द्र आदि कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.रविन्द्र पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम ठेठ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.कुलदीप पुत्र कस्मीर सिंह निवासी ग्राम कुमहरिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.सुभाष पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम ठेठ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 05 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त कुलदीप का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 1231/15 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 259/19 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 594/19 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 714/17 धारा 323/504/324 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 259/19 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त सुभाष का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर
2. मु0अ0सं0 724/22 धारा 323/504/506/324 भादवि0 थाना चादपुर

अभियुक्त रविन्द्र का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 467 रामकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 2453 विकास खोखर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. कां0 386 सोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर